



प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2024

थाना मझगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.11.2024 को थाना मझगवां पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर अवैध के साथ कोठा नहर तिराहा पर पुलिया से करीब 20 कदम की दूरी पर बहद ग्राम कोठा थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 174/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ ऋषि यादव के विरुद्ध पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ ऋषि यादव पुत्र शिवसिंह यादव निवासी ग्राम डकोर थाना- डकोर जिला जालौन (उम्र करीब 25 वर्ष)

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 तौफीक अहमद
2. मु0आ0 महेन्द्र सिंह
3. आरक्षी कमल सिंह

